

**कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक मध्यप्रदेश**  
(पंजीयन भवन, पुरानी विधान सभा के सामने, भोपाल-462003)

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 29/08/2013

क्रमांक 127/स्था.सेवा/2013 मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित स्टेनोग्राफर /स्टेनोटाइपिस्ट की संयुक्त चयन परीक्षा 2012 में चयनित **सुश्री संगीता चौधरी** की नियुक्ति **स्टेनोटाइपिस्ट** के पद पर वेतन बैंड-1 में 5200-20200 रूपये, ग्रेड वेतन 1900 रूपये तथा शासन द्वारा देय भत्तों पर अस्थाई रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से (दो वर्ष की परीवीक्षा पर) कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक मध्यप्रदेश, भोपाल में निम्न शर्तों के अधीन की जाकर पदस्थ किया जाता है :-

1. नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई होगी तथा किसी भी समय निरस्त की जा सकेगी ।
2. इस नियुक्ति के पश्चात किसी भी समय एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस/वेतन देकर सेवाएं समाप्त की जा सकेगी । यदि संबंधित अभ्यर्थी बिना पूर्व सूचना अथवा नोटिस के सेवा छोड़ देता है तो उससे उस माह के वेतन तथा भत्तों की राशि भू-राजस्व के बकाया की तरह वसूल की जा सकेगी ।
3. म.प्र. शासन वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ-9-3/2003/नियम/चार दिनांक 13.04.2005 के अनुसार दिनांक 01.01.2005 अथवा इसके बाद नियुक्त कर्मचारियों को परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू होगी । पेंशन नियम 1976 लागू नहीं होंगे एवं म.प्र. सामान्य भविष्य निधि नियम भी लागू नहीं होंगे ।
4. नव नियुक्त अभ्यर्थी को आदेश प्राप्ति के दिनांक से 15 दिवस के अंदर अपना कार्यभार ग्रहण करना होगा, अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त माना जावेगा ।
5. अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करने के लिये उम्मीदवार को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।
6. यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किये जा रहे हैं। यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में अभ्यर्थी शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाते हैं तो संबंधित की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी ।
7. नव नियुक्त अभ्यर्थियों की आपसी वरिष्ठता व्यवसायिक परीक्षा मंडल, म.प्र. भोपाल द्वारा घोषित परीक्षा परिणाम में दर्शाई गई प्रावीण्य सूची अनुसार होगी ।

**हस्ता./-**  
( दीपाली रस्तोगी )  
महानिरीक्षक पंजीयन  
मध्यप्रदेश

क्रमशः .....2

प्रतिलिपि:-

- 1- महालेखाकार, ग्वालियर मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ ।
- 2- स्थापना सामान्य शाखा मुख्यालय भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजकर निर्देशित किया जाता है कि नव नियुक्त कर्मचारी के उपस्थित होने पर उनसे नीचे लिखे अनुसार कार्यवाही अविलंब पूर्ण करा ली जावे-
  - (क) निर्धारित प्रारूप में अनुप्रमाणन फार्म की प्रति संलग्न है इसकी संबंधित से पूर्ति कराई जाये अनुप्रमाणन फार्म के साथ इस आशय का नोटरी द्वारा तस्दीक शपथ पत्र भी प्राप्त किया जाये कि नव नियुक्त अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई अपराधिक प्रकरण किसी थाने/न्यायालय में विचाराधीन नहीं है तथा म.प्र.सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्त) नियम 1961 के नियम 6 में यथा विनिष्ट कोई अनर्हता नहीं रखता। उक्त आशय का शपथ पत्र अनुप्रमाणन फार्म के साथ संलग्न किया जाये। इसकी संबंधित अभ्यर्थी से पूर्ति कराई जाकर चरित्र सत्यापन हेतु संबंधित पुलिस अधीक्षक को भेजा जाना सुनिश्चित करें। यदि किसी नियुक्त कर्मचारी का चरित्र शासकीय सेवा के अयोग्य पाया जाता है तो संबंधित की नियुक्ति निरस्त करने हेतु तत्काल इस कार्यालय को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें।
  - (ख) अचल एवं चल संपत्ति ओर रिश्तेदारों के संबंध में डिक्लेरेशन फार्म भराया जाकर सेवा पुस्तिका में चस्पा करें ।
  - (ग) निर्धारित फार्म पर शपथ ग्रहण कराके सेवा पुस्तिका में चस्पा की जाये।
  - (घ) नियमानुसार सक्षम अधिकारी का चिकित्सा प्रमाण पत्र प्राप्त किया जावें।
- 3- जिला कोषालय अधिकारी भोपाल, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ ।
- 4- जिला पेंशन अधिकारी भोपाल, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ ।
- 5- अधीक्षक/गोपनीय/लेखा/बजट शाखा मुख्यालय भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 6- संबंधित सुश्री संगीता चौधरी, पुत्री श्री छोटेलाल चौधरी, मं.नं. 60/9, जोगीपुरा, बरखेड़ी भोपाल, मध्यप्रदेश पिन - 462008 की ओर पालनार्थ ।

हस्ता./-  
महानिरीक्षक पंजीयन  
मध्यप्रदेश